पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 210312, 213072 फैक्स 424329, 213073

www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्रं. /प्रशा./वि.प./बैठक/16 बिलासपुर, दिनाक /10/2016

पंजीकृत डाक

प्रति,

1. **डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी**
   आचार्य
   स्कूल ऑफ एजुकेशन
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
   मैदान गढ़ी, नई दिल्ली

2. **डॉ. एल. पी. पटैरिया**
   आचार्य
   प्रबंध अध्ययन विभाग
   गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
   बिलासपुर (छ.ग)

3. **प्रो. एस. के. जाधव**
   प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी विभाग)
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
   रायपुर (छ.ग.)

4. **प्रो तीर्थेश्वर सिंह**
   आचार्य एवं अध्यक्ष,
   अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
   इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
   जिला– अनूपपुर (म0प्र0)

5. **डॉ. आर. प्रसाद**
   प्राध्यापक
   अर्थशास्त्र अध्ययन विभाग
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय;
   रायपुर (छ.ग.)

6. **डॉ. आभा रूपेन्द्र पाल**
   प्राध्यापक
   इतिहास अध्ययन विभाग
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
   रायपुर (छ.ग.)

7. **संचालक**
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर,
रायपुर (छ.ग.)

8. **डॉ. बी. डी. मिश्रा**
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

9. **आयुक्त**
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, खंड सी
नया **रायपुर** (छ.ग.)

10. **डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह**
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

विषय :– विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 21 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण का प्रेषण।

महोदय / महोदया,

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 21 वीं बैठक दिनांक 07 / 10 / 2016 के कार्यवाही विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

– सही –
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

पृ. क्रं. 4279(2) / प्रशा. / वि.प. / बैठक / 16 बिलासपुर, दिनाक 13 / 10 / 2016
प्रतिलिपि –

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. संबंधित विभाग प्रमुख अकादमी / परीक्षा / गोपनीय एवं स्थापना को कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन प्रतिवेदन शीध्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (प्रशासन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. नस्ती हेतु।

कुलसचिव

PSSOU/Deepak/AC 21 meeting/ minute/ 3

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम कमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद् की 21 वीं बैठक
दिनांक 07/10/2016
समय : 12:30 बजे पूर्वान्ह
स्थान – मुख्यालय, बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 21 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 21 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 07/10/2016 को पूर्वान्ह 12:30 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर

2. **डॉ. ललित प्रकाश पटैरिया** – सदस्य
   आचार्य
   प्रबंध अध्ययन विभाग
   गुरू घासीदास विश्वविद्यालय
   बिलासपुर (छ.ग.)

3. **प्रो तीर्थेश्वर सिंह** – सदस्य
   आचार्य एवं अध्यक्ष,
   अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
   इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
   जिला– अनूपपुर (म0प्र0)

4. **डॉ. बी. डी. मिश्रा** – सदस्य
   सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
   प्रबंध अध्ययन विभाग
   गुरू घासीदास विश्वविद्यालय
   बिलासपुर (छ.ग.)

5. **डॉ. (श्रीमती) बीना सिह** – सदस्य
   सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
   (शिक्षा विभाग)
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
   छत्तीसगढ, बिलासपुर

6. **डॉ. राज कुमार सचदेव** – सचिव
   कुलसचिव
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
   छत्तीसगढ, बिलासपुर

<u>निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –</u>

1.	**आयुक्त** उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर (छ.ग.)	–	सदस्य
2.	**डॉ. आभा रूपेन्द्र पाल** प्राध्यापक इतिहास अध्ययन विभाग पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)	–	सदस्य
3.	**डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी** आचार्य स्कूल ऑफ एजुकेशन इंदिरा गाधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	–	सदस्य
4.	**प्रो. एस. के. जाधव** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	–	सदस्य
5.	**डॉ. आर. प्रसाद** प्राध्यापक (अर्थशास्त्र विभाग) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	–	सदस्य
6.	**संचालक** छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी रायपुर (छ.ग.)	–	सदस्य

विद्या परिषद की बैठक हेतु निर्धारित समय में गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित की गई तथा आधा घंटा के बाद स्थगित बैठक प्रारंभ की गई। बैठक में विद्या परिषद् के सम्मानीय निवर्तमान सदस्य श्री रमेश नैयर, संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर के सकारात्मक योगदान के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

कुलपति जी के द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् कुलसचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये –

प्रस्ताव कं 1 विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 20 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय विद्या परिषद् द्वारा कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव क्रमांक 05 पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया कि दीक्षांत समारोह संबंधी अध्यादेश में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इसे परम्परा के तहत् प्रतिवर्ष निर्वहन किया जाये। विद्या परिषद् की शेष कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुये पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 2 अध्ययन केन्द्र की मान्यता एवं पोषण संबंधी नियम के अनुमोदन पर विचार एवं योजना मंडल की 6 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण का अवलोकन/विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय योजना मंडल की 6 वीं बैठक दिनांक 07/10/2016 की कार्यवाही विवरण मान्य किया गया तथा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से संबंधित कण्डिकाओं में निम्नानुसार संशोधन करने/जोड़ने का निर्णय लिया गया –

1. अध्ययन केन्द्रों/महाविद्यालय के द्वारा किसी कारण से सम्पर्क कक्षा आयोजित नहीं कर पाने की स्थिति में उस अध्ययन केन्द्र के विद्यार्थियों को दूसरे केन्द्र पर भेजा जाये। ऐसी स्थिति में संपर्क कक्षा आयोजित करने वाले केन्द्र का व्यय प्रति विद्यार्थीवार इसकी गणना की जायेगी, वह संबंधित अध्ययन केन्द्र/महाविद्यालय से लेकर दिया जायेगा।

2. सामान्य अध्ययन–केंद्रों के लिए संबद्धता मानदंड में शहरी, कस्बा एवं ग्रामीण–आदिवासी क्षेत्रों में छात्र संख्या क्रमशः 50, 35 एवम् 30 रखी जाये।

3. अध्ययन केन्द्र की मान्यता एवं पोषण संबंधी नियम या अनुबंध से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में उसे माननीय कुलपति जी के समक्ष रखा जाये। उस विवाद पर कुलपति जी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

4. अध्ययन केन्द्र की मान्यता एवं पोषण संबंधी नियम में उल्लेखित "**मान्यता समिति**" का गठन निम्नानुसार किया जाये –

4.1 क्षेत्रीय निदेशक – पदेन सदस्य

4.2 संबंधित क्षेत्र का क्षेत्रीय समन्वयक – पदेन सदस्य

4.3 कुलपति जी द्वारा नामित भारत के मुक्त विश्वविद्यालयों में से एक क्षेत्रीय निदेशक/आचार्य /सह–आचार्य – सदस्य

4.4 कुलसचिव – पदेन सचिव

मान्यता समिति न्यूनतम तीन सदस्यीय होगा एवम् समिति का अध्यक्ष कुलपति जी द्वारा नामित होगा।

5. अध्ययन केन्द्र की मान्यता एवं पोषण संबंधी नियम में उल्लेखित "**निरीक्षण समिति**" का गठन निम्नानुसार किया जायेगा –

5.1 निरीक्षण समिति का संयोजन कुलपति जी द्वारा नामित।

5.2 संबंधित क्षेत्र का क्षेत्रीय समन्वयक।

इसके अतिरिक्त चर्चा में यह भी निर्णय लिया गया कि –

(क) वर्तमान में जो अध्ययन केन्द्र संचालित हैं, जिसमें विश्वविद्यालय स्थापना व्यय खर्च कर रहा है, तथा जहॉ छात्र संख्या कम (शहरी क्षेत्र में 100, कस्बा में 70 एवं ग्रामीण–आदिवासी में 60) है, उसे बंद/स्थगित करने की कार्यवाही की जाये।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देश अनुसार स्कूलों में चल रहे अध्ययन केन्द्रों को यथाशीघ्र शासकीय महाविद्यालयों में स्थानांतरित किया जाये।

(ग) विश्वविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों जैसा वर्ष में दो बार जनवरी से दिसम्बर एवं जुलाई से जून के लिये प्रवेश किया जाये।

प्रस्ताव क्रं. 3 मानद उपाधि समिति की अनुशंसा पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा मानद उपाधि समिति की अनुशंसा को विचारोपरांत सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। गोपनीयता की दृष्टि से अनुशंसित

नाम/नामों को कार्यवाही–विवरण में नहीं लिखे जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।

RKSachdev 07.10.16
(राज कुमार सचदेव)
कुलसचिव/सचिव

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष